प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 75/2023 (2023/)

1. कैलाशी देवी पत्नि ललित कुमार जाति धाकड निवासी बीड़ कॉलोनी जूनियां तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. गायत्री देवी पत्नि गोकुल जाति धाकड
3. विमला देवी पत्नि किशनलाल जाति धाकड
4. संगीता देवी पत्नि श्रीपाल जाति धाकड

निवासीगण ग्राम नासिरदा (महादेव की ढाणी) तहसील देवली जिला टोंक

----प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

स्थितः–
शिवप्रसाद पाराशर :– अधिवक्ता प्रार्थी
कार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 11.05.2023

पत्रावली आज प्राशासन गांवो के संग अभियान केम्प जूनियां में पेश हुई। पक्षकारान के अधिवक्ता स्थित। पैरोकार सरकार तहसीलदार केकड़ी उपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम जूनियां तहसील केकड़ी जिला मेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
201–197	4487	0.45	बारानी 1
	4490	0.50	बारानी 1
	4491	0.70	बारानी 1
	4492	1.20	बारानी 1
	4493	1.49	बारानी 1
	6536/4490	3.30	बारानी 1
	कुल किता 6	कुल रकबा 7.64 हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है में वादीगण का ही कब्जा काश्त निरन्तर बैरोक टोक चला आ रहा है। अन्य किसी व्यक्ति का वर्णित जीयात में हक अधिकार हिस्सा नही है और ना ही हो सकता है। वादी द्वारा कई मरतबा प्रतिवादी से दन करने पर भी आराजीयात का सीमाज्ञान नही करवाया। प्रथम बार दिनांक 02.04.2023 को ीलदार महोदय केकड़ी को सीमाज्ञान करने हेतु निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी ने न्यायालय से आदेश की बात कह कर वाद वर्णित आराजी का सीमाज्ञान नही किया जिसके कारण यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

ना लाजमी आया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादवर्णित आराजीयात की
यी पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस
ब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी की ओर से आज प्रशासन गांवो के
अभियान केम्प जूनियां में जवाब सरकार की टिप्पणी अंकित की गई जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र में
त आराजी खातेदारी में दर्ज है, राजहित प्रभावित नही होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन
ा। प्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की
दारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत
रगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम
यां तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया पुराना 201—197 में दर्ज खसरा संख्या 4487,
), 4491, 4492, 4493, 6536/4490 कुल किता 5 कुल रकबा 7.64 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा
ानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन
अपना वहन करें। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प
यां में मजमे आम में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जि. अजमेर
सत्यमेव जयते